न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 263/2022

उम्मेद कुमार पुत्र सुरजाराम, जाति मेघवाल, निवासी मैनपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।
---आवेदक

बनाम

रामसिंह राजावत हाल पीठासीन अधिकारी, न्यायालय उपखण्ड अधिकरी, उदयपुरवाटी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।
–– अनावेदक

– – –

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण अ0 धारा 235 आर0टी0 1955 बाबत मु0न0 105/2020 उनवानी उम्मेद कुमार बनाम तहसीलदार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी निर्णय दिनांक 02.02.2022

आगामी पेशी दिनांक 26.07.2022

– – –

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया, अभिभाषक– आवेदक की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– अनावेदक की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 25.08.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र नीचे लिखे अनुसार पेश है कि आवेदक के उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अ0धारा 136 आर0टी0 एक्ट का दिनांक 02.02.2022 को निर्णय हो चुका है। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र के निर्णय से पूर्व प्रकरण मे किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 रूल 10 सी0पी0सी0 का पेश नही हुआ था। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 पर कहीं पर भी दिनांक अंकित नही है। तथा सलंग्न शपथ पत्र पर भी दिनांक अंकित नही है। प्रार्थना पत्र के सलंग्न शपथ पत्र तस्दीक शुदा भी नही है। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 दिनांक 29.12.2021 को मार्क है जबकि दिनांक 29.12.2021 नियत पेशी नही थी। अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र मे भी दिनांक अंकित नही है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 02.02.2022 को पुनः पत्रावली मे प्रार्थना पत्र अ आदेश 1 रूल 10 सी0पी0सी0 का विवरण दर्ज करते हुए पत्रावली पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया गया है जो विधि सम्मत नही है। अदालत हाजा द्वारा प्रकरण मे स्वतः निर्णय कियान्विति का आदेश पारित किया गया है जबकि पत्रावली पर स्थगन लिये जाने का कोई भी प्रार्थना पत्र पेश नही है। अदालत मातहत द्वारा कानूनी प्रकिया की पालना किये [illegible] धानिकतापूर्वक पत्रावली पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश पारित कर निर्णय [illegible] जो विधि सम्मत नही है। अनावेदक द्वारा पत्रावली मे निर्णय के बाद समस्त अवैधानिक कार्यवाहियां कैलाश पुत्र [illegible] की ओर से राजनैतिक दबाब के तहत की गई है। [illegible] यहां प्रकरण की मौजूदा कार्यवाही से न्याय की उम्मीद नही है। अनावेदक द्वारा निर्णय पारित होने के बाद पत्रावली पर प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 व रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली मे आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.09.22 17:37:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

प्रार्थना पत्र देकर स्वीकार किया गया है जिसकी आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर मे मजबूरन रिविजन भी पेश कर दी गई है। अनावदेक कैलाश पुत्र बीबरल के राजनैतिक दबाब मे क्षेत्राविहीन निर्णय पारित होने के बाद नजदीकी पेशियां दी जाकर आवेदक के पक्ष मे पारित निर्णय को अपास्त करने पर उतारू है। आवेदक द्वारा निर्णय के बाद की गई समस्त कार्यवाहियां क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अनियमितता एवं अवैधानिकता से की गई है। जिससे आवेदक के साथ अन्याय होगा अनावेदक गरीब व्यक्ति है। आवेदक को पूर्णतः विश्वास हो गया है कि मौजूदा प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के यहां विचाराधीन रहा तो आवेदक को न्याय प्राप्त नही होगा। इस कारण आवेदक की ओर से मौजूदा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः आवेदक पत्र स्थानान्तरण मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र मु0न0 105/2020 उनवानी उम्मेद कुमार बनाम तहसीलदार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी निर्णय दिनांक 02.02.2022 आगामी पेशी दिनांक 26.07.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी/नवलगढ की अदालत से अन्य सक्षम अदालत मे स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जावे। जिसे आवेदक को उचित न्याय मिल सके।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी चिडावा ने पत्रांक 3051 दिनांक 22.08.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बिन्दू सं0 1 मे अंकित तथ्य आंशिक स्वीकार है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 का निर्णय होना शेष है। बिन्दू सं0 2 उपरोक्त प्रकरण मे निर्णय दिलनांक 02.02.2022 होने से पूर्व प्रार्थना पत्र अन्तगत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 पेश किया हुआ है जिसका निर्णय होना शेष है। शेष तथ्य कानूनी है। बिन्दू सं0 3 मे अंकित तथ्य कानूनी है। बिन्दू सं0 4 मे अंकित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 का निर्णय होना शेष है। बिन्दू सं0 5 मे अंकित तथ्य मनगढन्त एवं निराधार है। प्रस्तुत प्रकरण विधिवत् सुनवाई की जा रही है। बिन्दू सं0 6 मे अंकित तथ्य मनगढन्त एवं बेबुनियादी है। बिन्दू सं0 7 मे अंकित तथ्य अस्वीकार है। बिन्दू सं0 8 मे अंकित तथ्य निराधार है। बिन्दू सं0 9 व 10 मे अंकित तथ्य कानूनी है। श्रीमान् से निवेदन है कि प्रस्तुत प्रकरण मे प्रार्थना पत्र अ0धारा 136 का निर्णय दिनांक 02.02.2022 को हो चुका है। लेकिन सहवन से प्रार्थना पत्र अ0 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 का निस्तारण शेष रहने से अनावेदक द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 के निस्तारण हेतु पत्रावली प्रक्रियाधीन है। न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रार्थना पत्र मुकदमा नं0 105/2020 उम्मेद कुमार बनाम तहसीलदार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी निर्णय दिनांक 02.02.2022 आगामी तारीख दिनांक 26.07.2022 अन्य किसी न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई ऐतराज/आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवेदक के उपरोक्त उन[illegible]आर0टी0 एक्ट का दिनांक 02.02.2022 को निर्णय हो चुका है। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना [illegible] क[illegible]य से पूर्व प्रकरण मे किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 रूल 10 सी0पी0सी0 का [illegible] हुआ था। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश [illegible] अंकित नही है। तथा सलंग्न शपथ पत्र पर भी दिनांक अंकित नही है। प्रार्थना पत्र के [illegible] शपथ पत्र तस्दीक शुदा भी नही है। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 दिनांक 29.12.2021 को मार्क है जबकि दिनांक 29.12.2021 नियत पेशी नही थी। अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र मे भी दिनांक अंकित नही है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 02.02.2022 को पुनः पत्रावली मे प्रार्थना पत्र अ आदेश 1 रूल 10 सी0पी0सी0 का विवरण दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.09.22 17:37:50 IST
Reason: SelfAttested

करते हुए पत्रावली पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया गया है जो विधि सम्मत नही है। अदालत हाजा द्वारा प्रकरण मे स्वतः निर्णय क्रियान्विति का आदेश पारित किया गया है जबकि पत्रावली पर स्थगन दिये जाने का कोई भी प्रार्थना पत्र पेश नही है। अनावेदक द्वारा पत्रावली मे निर्णय के बाद समस्त अवैधानिक कार्यवाहियां कैलाश पुत्र बीरबल की ओर से राजनैतिक दबाब के तहत की गई है। आवेदक को अनावेदक के यहां प्रकरण की मौजूदा कार्यवाही से न्याय की उम्मीद नही है। आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर मे रिविजन भी पेश कर दी गई है। अनावदेक कैलाश पुत्र बीबरल के राजनैतिक दबाब मे क्षेत्राविहीन निर्णय पारित होने के बाद नजदीकी पेशियां दी जाकर आवेदक के पक्ष मे पारित निर्णय को अपास्त करने पर उतारू है। आवेदक द्वारा निर्णय के बाद की गई समस्त कार्यवाहियां क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अनियमितता एवं अवैधानिकता से की गई है। जिससे आवेदक के साथ अन्याय होगा आवेदक गरीब व्यक्ति है। आवेदक को पूर्णतः विश्वास हो गया है कि मौजूदा प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के यहां विचाराधीन रहा तो आवेदक को न्याय प्राप्त नही होगा। इस कारण आवेदक की ओर से मौजूदा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र मु0न0 105/2020 उनवानी उम्मेद कुमार बनाम तहसीलदार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी निर्णय दिनांक 02.02.2022 आगामी पेशी दिनांक 26.07.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी की अदालत से अन्य सक्षम अदालत मे स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जावे। जिसे आवेदक को उचित न्याय मिल सके।

राजकीय अभिभाषक ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की कार्यवाही की जा रही है। फिर भी आवेदक यदि उनवानी वाद पत्र का स्थानान्तरण अन्यत्र न्यायालय मे करवाना चाहता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी, चिडावा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। पक्षकारों को उचित न्याय मिले व न्याय होता हुवा भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो, इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मु0न0 105/2020 उनवानी उम्मेद कुमार बनाम तहसीलदार अ0धारा 136 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी मु0न0 105/2020 उनवानी उम्मेद कुमार बनाम तहसीलदार अ0धारा 136 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ को भिजवा देवे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। प्रार्थी सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ के न्यायालय में दिनांक 12.09.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.09.22 17:37:50 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं